न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 225/2020, जिला दौसा

1. श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री राधेश्याम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम सिंगवाडा तहसील लवाण जिला दौसा राज0।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर दौसा।
2. तहसीलदार लवाण तहसील लवाण जिला दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी दौसा दिनांक 14.02.2020

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्ट श्री पं. ज्ञानेश्वर प्रसाद बाढदार
2. वकील रेस्पोडेन्ट श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

निर्णय

दिनांक —13.07.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी दौसा के निर्णय दिनांक 14.02.2020 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 21.07.2020 को प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :—

यह कि अपीलांट के द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया कि ग्राम सिंगवाडा तहसील लवाण जिला दौसा में स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 2/436 रकबा 10 बीघा को भूमि के खातेदार व काबिज काश्तकार त्रिवेणीश्याम, जगदीश प्रसाद, केदार पिसरान नाथूलाल जाति ब्राहम्ण से जरिये रजिस्टरी दिनांक 04.03.1982 को श्रीमती शारदा देवी ने खरीद ली एवं मौके पर काबिज है। सेटलमेन्ट की कार्यवाही दौरान विभाग द्वारा वादीनी की भूमि का रकबा जमाबन्दी में तो पूरा लगा दिया परन्तु नक्शा ट्रेस में कुल 0.75 ऐयर भूमि को कम अंकित कर दिया है जो कि साबिक नक्श ट्रेस व वर्तमान नक्शा ट्रेस का मिलान करने पर स्वतः ही प्रकट हो जाती है। अतः नक्शा ट्रेस में दुरूस्त किये जाने की प्रार्थना किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.02.2020 पारित किया कि चारागाह भूमि में वादिनी के खाते से 0.72 है0 भूमि जोडने की अनुशंषा की है। जिससे नक्शा शीट एवं जमाबंदी दोनो में ही रकबा समान मानते हुये तहसीलदार की जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश दिये गये।

उप खण्ड अधिकारी दौसा जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 14.02.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट शारदा देवी पत्नि श्री राधेश्याम द्वारा यह अपील धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दौसा दिनांक 14.02.2020 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम सिंगवाडा तहसील लवाण जिला दौसा में स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 2/436 रकबा 10 बीघा को भूमि के खातेदार व काबिज काश्तकार त्रिवेणीश्याम, जगदीश प्रसाद, केदार पिसरान नाथूलाल जाति ब्राहम्ण से श्रीमती शारदा देवी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.03.1982 को क्रय कर

Scanned by CamScanner

लिया एवं नक्शे अनुसार मौके पर काबिज है। तहसील दौसा में बन्दोबस्त दौरान साबिक खसरा नं. 2/436 के नये नम्बर 157 रकबा 1.71 है0 तथा 158 रकबा 0.82 है0 कायम किये गये जो कि गत खसरा नं. 2/436 के नक्शे अनुसार नहीं बनायें गये जो कि लिपिकीय त्रुटि है एवं तहसीलदार लवाण ने जवाब प्रार्थना पत्र में माना है कि नक्शा गत नक्शे के वर्तमान मौके अनुसार नहीं बनाया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने इसे विनिमय का विवाद मान कर अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा दिनांक 14.02.2020 निरस्त किया जावे।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांट को खातेदारी रकबे के अनुसार दिया जाना सही पाया जाता है तथा अपीलांट के खाते में अंकित ख0न0 158 में से 0.07 है0 एवं 157 में से 0.65 है0 कुल 0.72 है0 भूमि चारागाह खाते में दर्ज किया जाना जरूरी है एवं भू–प्रबंधन दौरान की गई किसी भी कार्यवाही के जारी रहने के दौरान सभी पक्षकारों से एवं सार्वजतिक तौर पर उज्रदारियॉ मॉगी जाती हैं, अगर अपीलांट को आपत्ति थी तो उस समय अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को जारी नकल दिनांक 14.07.2020 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत केवल राजस्व अभिलेख में रही लिपिकीय त्रुटि को ही पक्षकारों की सहमति के आधार पर दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है। राजस्व नक्शा (Revenue Map) एक महत्वपूर्ण राजस्व दस्तावेज है एवं इसमें किसी प्रकार का संशोधन किए जाने से यदि किसी ख.नं. का रकबा बढ रहा है तथा अन्य ख.नं. का रकबा कम हो रहा है तो इस तरह का अनुतोष धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत के तहत किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा जिला दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.02.2020 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दौसा जिला दौसा दिनांक 14.02.2020 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner